93
112(2)

संख्या–540 / XX(5) / 12–17(हो0गा0) / 11

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड़ शासन,

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स एवं निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड़।

गृह अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक 20 अप्रैल, 2012

विषय:–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:– सीजी–10 / हो0गा0 / 2006 / 353 दिनांक 06.07.2011 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स नियमावली में सीधी भर्ती की प्रक्रिया अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली के अनुसार किये जाने का प्राविधान है। अतः उत्तराखण्ड राज्य में निर्गत अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली 2004) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में भी यथावत लागू होगी।

3. यह आदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–540 / XX(5) / 11–17(हो0गा0) / 11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स कुमाऊँ मण्डल / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।